

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :- श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :- 111/2023

निर्णय दिनांक : 13.1.25

शिवबक्स सिंह बनाम महावीर सिंह वगै०

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 13/1/25 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मारीगसर तहसील व जिला झुन्झुनू में भूमि खसरा नम्बर 128 रकबा 1.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.12 हैक्टर में वादी को हिस्सा 1/33, प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 3 को हिस्सा 1/27, प्रतिवादी संख्या 4 को हिस्सा 1/27, प्रतिवादी संख्या 5 को हिस्सा 1/27, प्रतिवादी संख्या 6 को हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 7 को हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 14 प्रत्येक को हिस्सा 1/33-1/33, प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 17 प्रत्येक को हिस्सा 1/99-1/99, प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 21 प्रत्येक को हिस्सा 1/132 - 1/132 है व प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 24 प्रत्येक को हिस्सा 1/99-1/99 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।



*(हवाई सिंह यादव)*  
(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	3	योग	

*(हवाई सिंह यादव)*  
(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू